# छत्तीसगढ़ शासन
## महिला एवं बाल विकास विभाग
## मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर–छत्तीसगढ, 492002

पत्र क./6–4/06/मबावि/50 रायपुर, दिनांक 19.12.2013

प्रति,

प्रति,
अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
..... विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

विषयः– महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिंक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 (2013 का संख्या 14) प्रभावशील होने विषयक।

संदर्भः– 1. भारत शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 9 दिसम्बर 2013 एवं
2. छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग का पत्र कमांक 6–4/06/मबावि/50 दिनांक 17.09.2013।

कृपया भारत शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 9 दिसम्बर 2013 का अवलोकन करना चाहेंगे। भारत शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिंक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 बनाया गया है तथा दिनांक 9 दिसम्बर 2013 से प्रभावशील है।

अधिनियम की धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार भारत शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिंक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) नियम 2013 बनाये गये है जिसकी प्रति संलग्न है ।

संदर्भित पत्र कमांक 2 अनुसार अवगत कराया गया था कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिंक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के भाग–1 धारा–2 में परिभाषाएं दी गई है जिसमें पीड़ित महिला, नियोक्ता, कार्यस्थल एवं यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है ।

**अधिनियम की धारा–4 (1) के अनुसार**

*4 (1) Every employer of a workplace shall, by an order in writing, consitute a Committee to be known as the "Internal Complaints Committee".*
*Provided that where the offices or administrative units of the workplace are located at different places or divisional or sub-divisional level, the Internal Committee shall be constituted at all administrative units or offices.*

*(2) The Internal Committee shall consist of the following members to be nominated by the employer, namely:-*

*(a) a Presiding Officer who shall be a woman employed at a senior level at workplace from amongst the empolyees:*
*Provided that in case a senior level woman employee in not availabe, the Presiding Officer shall be nominated from other offices or administrative units of the workplace referred in sub-section (1):*
*Provided further that in case of other offices or administrative units of the workplace do not have a senior level women employee, the presiding officer shall be nominated from any other workplace of the same employer or other department or organisation;*

(b) *not less than two Members from amongst employees preferably committed to the cause of women or who have had experience in social work or have legel knowlege;*

(c) *one member from amongst non-government organisation or associations committed to the cause of women or a person familiar with the issues relating to sexual harssment: Providing that at less one-half of the total Members so nominated shall be women.*

(3) *The Presiding Officer and every Member of the Internal Committee shall hold office for such period, not exceeding three years, from the date of their nomination as any may be specified by the employer.*

(4) *The Member appointed from amongst the non-government organisation or associations shall be paid such fees or allowances for holding the proceeding of the Internal Committee, by the employer, as prescribed in the rule.*

**उपरोक्तानुसार**

1. उपरोक्त अधिनियम के प्रकाश में आंतरिक शिकायत समितियों का पुनर्गठन करते हुए स्वैच्छिक संगठन से एक सदस्य को अनिवार्य रूप से नामांकित किया जाना होगा। यह कार्यवाही आगामी 15 दिवस में पूर्ण कर समिति गठन की सूची विभागीय सूचना पटल, विभागीय वेबसाईट, संबंधित कार्यालय की समस्त महिला कर्मचारी एवं इस विभाग को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध है।
2. समिति का कार्यकाल तीन वर्ष निर्धारित रहेगा ।
3. यह समिति सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय/वाणिज्यक कार्यालय व उद्योगों व सभी चिन्हांकित कार्यस्थलों में गठित किया जाना अनिवार्य होगा । सभी विभाग अपने नियंत्रण में आने वाले कार्यालयों/संस्थाओं/वाणिज्यक निकायों/उद्योगों को सूचित करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन सुनिश्चित करेंगे । जहां महिला कर्मचारी कार्यरत न हो अथवा 1–2 की संख्या में महिला कर्मचारी हो वहां समिति गठन के संबंध में प्रशासकीय विभाग/नियोक्ता समुचित निर्णय करते हुए आंतरिक शिकायत समिति की उपयुक्त व्यवस्था करेंगे ।
4. अधिनियम में आंतरिक शिकायत समिति को सुनवाई व आदेश हेतु अधिकार प्रत्योजित किये गये हैं । समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विवरण अधिनियम में उल्लेखित है । कृपया संलग्न अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों व प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए समिति पुर्नगठित किया जावे।
5. अधिनियम की धारा 26 के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति गठित न किये जाने पर नियोक्ता को 50 हजार रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है ।
6. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिंक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) नियम 2013 के नियम 3 अनुसार :–

   **"आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए फीस या भत्ते"**

   1. गैर–सरकारी संगठनों में नियुक्त सदस्य, आंतरिक समिति की कार्यवाहियों के आयोजन के लिए प्रतिदिन 200 रूपये के भत्ते के हकदार होंगे, और उक्त सदस्य रेलगाड़ी से थ्री टायर वातानुकूलन या वातानुकूलित बस से तथा आटोरिक्शा या टैक्सी से अथवा यात्रा पर उसके द्वारा खर्च की गई वास्तविक राशि, जो भी, कम हो प्रतिपूर्ति के भी हकदार होंगे।
   2. नियोक्ता उप–नियम (1) में निर्दिष्ट भत्तों के संदाय के लिए उत्तरदायी होगा।

(3)

कृपया महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिंक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम एवं नियम 2013 के प्रावधानों के प्रकाश में समुचित कार्यवाही कर कृत कार्यवाही का प्रतिवेदन प्रेषित करने का कष्ट करेंगे।
संलग्नः– अधिनियम एवं नियम की प्रति

(सुब्रत साहू)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

पृ. पत्र क. / 6–4 / 06 / मबावि / 50 रायपुर, दिनांक 19 .12.2013

**प्रतिलिपिः–**

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर सूचनार्थ।
2. रजिस्टार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
3. स्टॉफ आफिसर, मान. मुख्य सचिव, कार्यालय की ओर सूचनार्थ ।
4. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
5. संभागायुक्त रायपुर / सरगुजा / बस्तर / बिलासपुर ।
6.. समस्त– बिभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ ।
7. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, की ओर सूचनार्थ। कृपया सभी वाणिज्यिक एवं व्यवसायिक संस्थानों में आंतरिक समिति गठित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।
8. आयुक्त, वाणिज्य एवं उद्योग की ओर सूचनार्थ। कृपया सभी उद्योग एवं अधीनस्थ सभी वाणिज्यिक संस्थाओं में आंतरिक समिति गठित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।
9. संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर सूचनार्थ। अधिनियम के कियान्वयन के अनुपालन में समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
10. कलेक्टर – समस्त, छत्तीसगढ़ । कृपया जिले में अवस्थित सभी शासकीय / गैर–शासकीय / उद्योग / वाणिज्यिक एवं व्यवसायिक संस्थानों में आंतरिक समिति गठित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।
11. जिला कार्यक्रम अधिकारी / जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी समस्त–छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ । कृपया जिले में शिकायत समितियों का गठन सुनिश्चित करते हुए संकलित प्रतिवेदन संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रेषित करें ।

सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग
रायपुर, छत्तीसगढ़